

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 170-2017/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, SEPTEMBER 25, 2017 (ASVINA 2, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 सितंबर, 2017

संख्या 89/एसटी—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर और यह समाधान होने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी—2, दिनांक 30 जून, 2017 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46 / एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में, क्रम संख्या 3 के सामने, खाना (3) (4) तथा (5) के नीचे, मद (vi) और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः–

(3)	(4)	(5)
''(vi) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी प्राधिकरण को	6	_
निम्नलिखित के विनिर्माण, परिनिर्माण, चालू करने, स्थापना, पूरा करने, साज समान से लैस करनें, मरम्मत,		
रख-रखाव, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने के रूप में प्रदान की गई सेवाएं,-		
(क) सिविल संरचना या कोई अन्य मूल कार्य जिसका मुख्यता उपयोग वाणिज्य, उद्योग या किसी		
अन्य व्यापार या व्यवसाय से भिन्न हो;		
(ख) संरचना जिसका मुख्यता उपयोग (i) शैक्षिक (ii) नैदानिक अथवा (iii) कला अथवा		
सांस्कृतिक स्थापना के लिए हो; अथवा		
(ग) आवासीय परिसर जिसका मुख्यता उपयोग स्वयं उपयोग या उनके कर्मचारियों के उपयोग के		
लिए हो या ऐसे अन्य व्यक्तियों के प्रयोगार्थ हो जो हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम,		
2017 की अनुसूची III के पैरा 3 में विनिर्दिष्ट हैं।		
(vii) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) से भिन्न विनिर्माण सेवाएं।	9	-''

संजीव कौशल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 25th September, 2017

No:89/ST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Table, against serial number 3, under columns (3), (4) and (5), for item (vi), the following items shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(vi) Services provided to the Central Government, State Government, Union Territory, a local authority or a governmental authority by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of –	6	-
(a) a civil structure or any other original works meant predominantly for use other than for commerce, industry, or any other business or profession;		
(b) a structure meant predominantly for use as (i) an educational, (ii) a clinical, or(iii) an art or cultural establishment; or		
(c) a residential complex predominantly meant for self-use or the use of their employees or other persons specified in paragraph 3 of the Schedule III of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.		
(vii) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above.	9	-"·

SANJEEV KAUSHAL, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.

55639—C.S.—H.G.P., Chd.